

कार्यालय सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड- 1(ताठट्रो), लो०नि०वि०, आगरा

पत्रांक: 638 / १८-मवन-२२

दिनांक: १५/०७/२०२२

सेवा में,

प्रबन्धक,
देल्ही पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल,
ग्राम- ताल सेमरी, देवरी रोड,
आगरा।

बिषय:- जनहित याचिका संख्या-483/2004 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.04/2009 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक DPIS/14/2022 दिनांक 12.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि देल्ही पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल, ग्राम- ताल सेमरी, देवरी रोड, आगरा के विद्यालय भवन का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा कर लिया गया है। निरीक्षण में पाया गया कि उक्त विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं वर्तमान में विद्यालय भवन पूर्णतः सुरक्षित एवं मजबूत है। वॉछित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। संलग्न-प्रमाण पत्र।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1(ताठट्रो)
लो०नि०वि०, आगरा
१५/०७/२०२२ आगरा

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय देल्ही पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल, ग्राम- ताल सेमरी, देवरी रोड, आगरा का स्थलीय निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया गया है। वर्तमान में विद्यालय भवन पूर्णतः सुरक्षित एवं मजबूत है।

अवर अभियन्ता
नि०ख०-१ (ता०ट्रि०), लो०नि०वि०,
आगरा